पटना में दिनांक—15 सितम्बर, 2026 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः—

कृषि विभाग

1.	वित्तीय वर्ष 2026—27 में केन्द्रीय क्षेत्र की मखाना विकास योजना हेतु कुल 8979.684 लाख (नवासी करोड़ उनासी लाख अड़सठ हजार चार सौ) रूपये के लागत पर कार्यान्वयन, राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

2.	नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल—ऑयल पाम (NMEO-OP) केन्द्र प्रायोजित योजना का वित्तीय वर्ष 2026—27 में कार्यान्वयन हेतु कुल 210.00 लाख (दो करोड़ दस लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

3.	केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत ''एकीकृत बागवानी विकास मिशन'' के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026—27 से 2027—28 तक कुल दो वर्षों हेतु कुल 7834.22040 लाख (अठहत्तर करोड़ चौतीस लाख बाईस हजार चालीस) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2026—27 में 6866.22040 लाख (अड़सठ करोड़ छियासठ लाख बाईस हजार चालीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

4.	बिहार राज्यान्तर्गत ईंट सत्र 2024—2025 तक ईंट—भट्ठों के बकाया राशि की वन टाईम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

5.	विकसित भारत—रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत—जी राम जी)—शिकायत निवारण नियमावली, बिहार, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

6.	बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 की स्वीकृति।	6.	स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

7.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में पैरावेट स्कूल के स्थापना के लिए अनुदेशक कुल–04 पद एवं निम्नवर्गीय लिपिक कुल–02 पद अर्थात् कुल–6 पदों की सृजन की स्वीकृति तथा प्रस्तावित पद सृजन के फलस्वरूप कुल वार्षिक व्यय भार रूपये 45,98,832/– (पैतालीस लाख अंठानवे हजार आठ सौ बत्तीस) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।	7.	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

8.	स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक/रीडर एवं व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिये संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	8.	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

9.	स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के कुल–05 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों यथा–राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा, सारण एवं श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर में सहायक प्राध्यापक के रिक्त कुल–366 पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिये संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	9.	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

10.	डा० रवि शंकर प्रसाद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, अलौली, खगड़िया के विरूद्ध दिनांक–17.11.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में ''सेवाच्यूति'' की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में।	10.	**स्वीकृत।**

सिविल विमानन विभाग

11.	भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना Modified UDAN Scheme अंतर्गत राज्य में हवाई संपर्क के विस्तार हेतु नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति के संबंध में।	11.	**स्वीकृत।**

सिविल विमानन विभाग

12.	सिविल विमानन विभाग, बिहार अन्तर्गत सृजित तकनीकी एवं गैर–तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति आदि को विनियमित करने हेतु ''बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026'' के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	12.	**स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

13. बिहार जिला खनिज फाउंडेशन (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

14. गया जिलान्तर्गत अवस्थित विष्णुपद मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी के तर्ज पर समग्र विकास हेतु प्राक्कलित राशि 25,20,00,00,000/–(दो हजार पाँच सौ बीस करोड़) रूपये एवं सोन–फल्गु नदी जोड़ योजना का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 9,96,05,00,000/–(नौ सौ छियानवे करोड़ पाँच लाख) रूपये कुल राशि 35,16,05,00,000/–(तीन हजार पाँच सौ सोलह करोड़ पाँच लाख) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

15. बिहार सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के दो अतिरिक्त पदों का अगले आदेश तक के लिए सृजन के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

गृह विभाग
(कारा)

16. राज्य की काराओं में खाली पड़ी भूमि पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के परिचालन हेतु कारा पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) परिचालन नियमावली–2026 का गठन तथा केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ एवं शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर की खाली पड़ी भूमि पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) का अधिष्ठापन एवं संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० तथा केन्द्रीय कारा, बक्सर एवं शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर की खाली पड़ी भूमि पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) का अधिष्ठापन एवं संचालन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा कराये जाने हेतु नामांकन के आधार पर उक्त पेट्रोलियम कंपनियों के चयन की स्वीकृति के संबंध में। — **16. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

17. जल संसाधन विभाग अन्तर्गत राज्य योजना मद में बाढ़ एवं सिंचाई प्रक्षेत्र हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से विभिन्न विपत्र कोड अन्तर्गत कुल रू० 1000.00 करोड़ (एक हजार करोड़) मात्र की राशि के अग्रिम की स्वीकृति। — **17. स्वीकृत।**